राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 846 / 2024

जोधराज गुर्जर —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, पशुपालन, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. पशु चिकित्सा अधिकारी / प्रभारी, पशु चिकित्सालय, अमरवासी, शाहपुरा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 13.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिषेक भारद्वाज, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता, केवियटर

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पशुधन सहायक के पद पर उप केन्द्र छोटी बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2013 में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय, अमरवासी, शाहपुरा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, खजूरी, जहाजपुर, भीलवाड़ा से पशु चिकित्सालय, अमरवासी, जहाजपुर, भीलवाड़ा में वर्तमान पदस्थापन स्थान पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र निम्बला जिला जालौर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 350 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी एक अल्प वेतनभोगी है।
3. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत रखा जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिये जावे।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.03.2024 को केवियट प्रस्तुत की गई।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। विद्वान् अभिभाषक ने जाहिर किया कि स्थानान्तरण एवं यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होने के उपरान्त भी अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

7. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

8. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य